UPME010047912026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मेरठ।

उपस्थित : श्री अरविन्द कुमार मिश्रा-II,

(उच्चतर न्यायिक सेवा)

(ID No. : UP 6030)

फौजदारी विविध वाद (स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र) सं० 362 सन 2026

श्रीमती नीतू धामा बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य।

दिनांक 07.07.2026

1. आज यह पत्रावली पेश हुयी।

2. आवेदिका की ओर से स्थानान्तरण प्रार्थनापत्र 3 ख मय शपथपत्र 4 ख प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि वाद संख्या 20555/2023 सरकार बनाम शशि व अन्य मु०अ०सं० 190/2021 अंतर्गत धारा 147,148,149,323,452,324,504 भा०दं०सं० थाना नौचन्दी, जिला मेरठ वर्तमान में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, मेरठ में विचाराधीन है तथा उक्त वाद से सम्बन्धित सरकार बनाम कुसुम व अन्य मु०अ०सं० 187/2021 थाना नौचन्दी, जिला मेरठ वर्तमान में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या 02, मेरठ में विचाराधीन है। दोनों वाद एक-दूसरे के क्रास केस है। उक्त के आधार पर आवेदिका का प्रार्थनापत्र स्वीकार करते हुये, वाद संख्या 20555/2023 सरकार बनाम शशि व अन्य मु०अ०सं० 190/2021 अंतर्गत धारा 147,148,149,323,452,324,504 भा०दं०सं० थाना नौचन्दी, जिला मेरठ के वाद को न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या 02, मेरठ में स्थानांतरित करने की याचना की गयी है।

3. विपक्षीगण संख्या 1 ता 11 की ओर से उक्त स्थानांतरण प्रार्थनापत्र पर आपत्ति 13 ख प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि उपरोक्त वाद संख्या 20555/2023 सरकार बनाम शशि व अन्य मु०अ०सं० 190/2021 अंतर्गत धारा 147,148,149,323,452,324,504 भा०दं०सं० थाना नौचन्दी, जिला मेरठ व सत्र परीक्षण संख्या 512/2022 सरकार बनाम कुसुम व अन्य की घटना अलग तिथि व समय पर हुयी है। दोनों वादों में कोई समानता नहीं है और न ही दोनों वाद एक-दूसरे के क्रास केस है। मुकदमा अपराध संख्या 187/2021 सत्र परीक्षण संख्या 345/2022 वर्तमान में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), न्यायालय संख्या 02, मेरठ में विचाराधीन है। वाद को विलम्बित करने के उदेश्य से स्थानांतरण प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। उक्त के आधार पर स्थानांतरण प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

4. सम्बन्धित न्यायालय से स्थानांतरण प्रार्थनापत्र के परिप्रेक्ष्य में आख्या आहूत की गयी।

5. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (भ्र०नि०अधि०), न्यायालय संख्या 02, मेरठ द्वारा आख्या 8 ख प्रस्तुत की गयी है और यह कथन किया गया है कि सत्र परीक्षण संख्या 345/2022 मु०अ०सं० 187/2021 अंतर्गत धारा 147,148,149,323,452,324,504, 506,307 भा०दं०सं० थाना नौचन्दी, जिला मेरठ व सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 346/2022 सरकार बनाम मोनू, सत्र परीक्षण संख्या 1154/2023 सरकार बनाम कुसुम व अन्य तथा सत्र परीक्षण संख्या 405/2025 सरकार बनाम पूनम विचाराधीन है तथा सभी पत्राविलयों को समेकित कर एक साथ विचारण किया जा रहा है।

6. न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, मेरठ द्वारा आख्या 9 ख प्रस्तुत की गयी है और यह कथन किया गया है कि प्रार्थिनी/वादिया द्वारा प्रार्थनापत्र दिनांकित 19.06.2024 वास्ते वाद संख्या 20555/2023 सरकार बनाम शशी आदि को सत्र न्यायालय को सुर्पूद कर, सत्र परीक्षण संख्या 512/2022 के साथ विचारण करने हेतु स्थानान्तरित करने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसको इस न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र को गुण–दोष के आधार पर निरस्त किया गया है।

7. मेरे द्वारा आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासयकीय अधिवक्ता (फौजदारी) को सुना गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

8. प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थनापत्र आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि मु०अ०सं० 187/2021 व मु०अ०सं० 190/2021 थाना नौचन्दी जिला मेरठ से सम्बन्धित दोनों वाद एक–दूसरे के क्रास केस है। मु०अ०सं० 190/2021 वाद संख्या 20555/2023 सरकार बनाम शशि अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 452, 324, 504 भा०दं०सं० थाना नौचन्दी, जिला मेरठ वर्तमान में न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, मेरठ में तथा मु०अ०सं० 187/2021 से सम्बन्धित सत्र परीक्षण संख्या 345/2022 सरकार बनाम मोनू अंतर्गत धारा 147, 148, 149, 323, 324, 325, 452, 504, 506, 307 भा०दं०सं० थाना नौचन्दी, जिला मेरठ, वर्तमान में न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश, (भ्र०नि०अधि०), न्यायालय संख्या 02, मेरठ में विचाराधीन है।

9. पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि प्रार्थिनी/वादिनी द्वारा न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, मेरठ के समक्ष मु०अ०सं० 187/2021 से सम्बन्धित वाद सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय होने के आधार पर, मु०अ०सं० 190/2021 से सम्बन्धित वाद को भी सत्र सुर्पूद किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र दिनांकित 19.06.2024 प्रस्तुत किया गया था। विद्वान अवर न्यायालय अपने निष्कर्ष में यह अंकित किया है कि मु०अ०सं० 190/2021 में घटना का समय रात्रि करीब 20:30 बजे से 07:30 बजे तक अंकित किया गया है। जबकि मु०अ०सं० 187/2021 में घटना का समय रात्रि 10:00 बजे से 08:00 बजे अंकित किया गया है, जिससे उक्त दोनों घटनाये अलग–अलग समय पर घटित हुयी है एवं दोनों घटनाओ के तथ्य भी भिन्न–भिन्न है। उक्त के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त किया गया है।

10. प्रार्थिनी/वादिनी द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र निरस्त के सम्बन्ध में कोई पुनरीक्षण प्रस्तुत नहीं किया गया, बल्कि स्थानांतरण प्रार्थनापत्र के माध्यम से उक्त अनुतोष चाहा गया है।

11. ऐसी स्थिति में मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों को दृष्टिगत रखते हुये, स्थानांतरण हेतु कोई ठोस एवं सारगर्भित साक्ष्य न होने के अभाव में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थिनी की ओर से प्रस्तुत स्थानांतरण प्रार्थनापत्र 3 ख खारिज किया जाता है।

इस आदेश की एक-एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जावे।

बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफतर की जावे।

दिनांक 07.07.2026

(अरविन्द कुमार मिश्रा–II)
सत्र न्यायाधीश,
मेरठ।
ID No. UP 6030

This is uncertified copy for information/ reference.
For authentic copy please refer to certified copy only.

Pankaj Kumar
(P.A.)